

45
Done

संख्या—१४०८/१-१०-२०१३-३३(६१)/१३

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र, बांदा एवं जौनपुर।

राजस्व अनुभाग—१०

लखनऊ: दिनांक ३। जुलाई, 2013

विषय: वित्तीय वर्ष 2013-14 में दैवी आपदा कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि 75,00,000/- (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	पत्रांक व दिनांक	मांगी गयी धनराशि (रुपये में)	शा० दिनांक ०९.०७.२०१३ द्वारा निर्गत धनराशि (रुपये में)	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि (रुपये में)
1	सोनभद्र	८५१/मु०रा०ले०-दै०आ०-२०१३ ११.०७.१३	25,00,000	—	25,00,000 (रु० पच्चीस लाख)
2	बांदा	८४८/दैवी आपदा-बजट ०६.०७.१३	50,00,000	—	25,00,000 (रु० पच्चीस लाख)
3	जौनपुर	६०३/आपदा-जौनपुर १२.०७.१३	30,00,000	—	25,00,000 (रु० पच्चीस लाख)
				योग रु०	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या—५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-८००-अन्य व्यय-०३-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-४२-अन्य व्यय” के नामे डाला जायेगा।

3. इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं—अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चकवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं—सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शा०प०स०-७८/पी०ए०आर०/२०१२, दिनांक 24.01.2012 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र संख्या-३२-७/२०११-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 की छायाप्रति संलग्न की गयी है, में जहाँ राहत प्रदान करने के लिये मानक निर्धारित है, उन मदों में आवश्यकतानुसार तत्काल व्यय की जायेगी। शासन के पत्र सं-जी०आई०-१८/१-१०-२०१२, दिनांक 25.10.2012 जिसके साथ भारत सरकार के पत्र संख्या-३२-३/२०१२-NDM-1, दिनांक 28.09.2012 के माध्यम से एस०ड०आर०एफ०/एन०ड०आर०एफ० से नोटिफाइड दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन करते हुये पुनरीक्षित नॉर्म्स की सूचना उपलब्ध करायी गई है, का अनुपालन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र सं०-३१७/१-११-२०१३, दिनांक 05.07.2013 जिसके साथ भारत सरकार के पत्र संख्या-३२-३/२०१३-NDM-1, दिनांक 21.06.2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01.03.2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाये। शासनादेश संख्या-४४६४/१-१०-२००८-१४(45)/२००३, दिनांक 24 सितम्बर, २००८ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सारी मदों में दिये जाने वाले रु० 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रु० 2000/-से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जायें।

6. राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

8. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री करली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा

मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

9. आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या—1693/1-11-2005—रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—य०३००-२/1-11-2013—रा०-11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार सर्वप्रित कर दिया जाये।

10. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

11. व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीप,
(एल० वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या ०४६८ (1)/1-10-2013-33(61)/13, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद
- 2— सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6— सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सोनभद्र, बांदा एवं जौनपुर।
- 7— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—5।
- 8— समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग—10/ राजस्व अनुभाग—6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ०प्र० शासन।
- 10— गार्ड फाइल।

अम्बा से,
(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।

